

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.2(इ)1(अ)लेसे-1/442

दिनांक:- 13.09.2019

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 468/2019-20 दिनांक 12.09.2019 की अंतिम पंक्ति “उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की स्वीकृति क्रमांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2019 दिनांक 12.09.2019 के क्रम में जारी किए जाते हैं।” के पश्चात् “उक्त सभी स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से लोकहित में किए गए हैं, अतः समस्त स्थानान्तरित कार्मिकों को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।” एतद्वारा अन्तर्स्थापित किया जाता है।

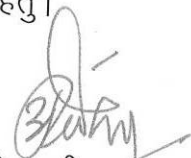

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2(इ)1(अ)लेसे-1/442

दिनांक:- 13.09.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3. कोषाधिकारी
4. श्री सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय कार्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फ़ैक्स अथवा विभागीय ईमेल aao1.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- प्रथम/द्वितीय) कार्यालय हाजा
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)